

रणवीर सिंह चौहान
आई0ए0एस0
निदेशक



उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर, देहरादून ।
ईमेल : director.uredahq@gmail.com
फोन नं0- 0135 -2521387, Fax- 2521386
पत्रांक 2619 उरेडा / 11(11)भत्ते-33 / 2001
दिनांक 20 फरवरी, 2018

समस्त वरि0परि0अधि0 / परियोजना अधिकारी,
उरेडा, उत्तराखण्ड ।

विषय: सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप उरेडा के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक देय वेतन/भत्तों की अवशेष (एरियर) राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

प्रशासनिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 35/I/2017-03/03/2017T.C दिनांक 02 फरवरी, 2018 द्वारा शासनादेश संख्या 706/I/2017-03/03/2017 TC दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के अनुरूप उरेडा में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियाँ लागू होने के फलस्वरूप वित्त विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 202/XXXVII(7)30(7)/2016 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 में दी गयी व्यवस्था एवं शर्तों के अनुरूप दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय वेतन/भत्तों के अवशेष एरियर का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

उक्त शासनादेशों की प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासनादेशों की शर्तों/व्यवस्थाओं के अनुरूप वेतन भत्तों के अवशेष एरियर का भुगतान सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- शासनादेश।

(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक, उरेडा।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उरेडा मुख्यालय को शासनादेश की प्रतियों के साथ प्रेषित।

(रणवीर सिंह चौहान)
निदेशक, उरेडा।